

फर्द अहकाम

कोषाध्यक्ष एवं सचिव
जयपुर द्वितीय

कुल-चर्चा बनाम जाबूखाल

था। वर्ष 105/21 / 20

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
3/6/24	<p>पत्रावली पेश हुई वकील वकील वकील प्रतिवादी को मोटिव जांच के दिनांक 15/1/24 को पेश की</p> <p>उप सचिव अधिकारी जयपुर (द्वितीय)</p>	<p>नोटिफिकेशन 4353-64 3/6/24</p>
15/7/24	<p>पत्रावली पेश हुई वकील वकील वकील प्रति. सं. 7 की ओर श्री सैयद मोहम्मद अली एडव ने कबालतनामा पेश किया आ. कि. से। प्रतिवादी सं. 7 को जकार दावा पेश करने के शेष प्रतिवादी इन्तजार तामीर हेतु पत्रावली वास्तु कक्ष उपपत्र 06 R17 पर जकार दावा प्रति. सं. 7 व शेष प्रतिवादी इन्तजार तामीर हेतु दि 21/7/24 को पेश की</p> <p>उप सचिव अधिकारी जयपुर (द्वितीय)</p>	
29/7/24	<p>पत्रावली पेश हुई वकील वकील वकील उपस्थित नहीं। वक्त सफल वकील वकील अधिकारिता की बात- बात भाषाज लगवारी गई। बात- बात भाषाज लगवारी के बाद भी वकील वकील अधिकारिता की मोरडे कोई भी उपस्थित नहीं हेतु ले वकील के बाद अदम धजरी अदम फेरकी के खारिज किया जाता है। पत्रावली फेरकी थुमार होकर, दर्ज नम्बर है कु है बाद तदुक्ती फेरकी अदम है।</p> <p>उप सचिव अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)</p>	